

Member of Parliament Local Area Development Scheme



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

02.11.2016

Dated

फा.सं.सी-42/2013-एमपीलैड्स

सेवा में,

- (1) आयुक्त
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
- (2) सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय: एमपीलैड्स निधियों की दूसरी किस्त जारी करने के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र तथा लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना ।

महोदय/महोदया,

एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 4.3 में एमपीलैड्स निधियों की दूसरी किस्त जारी किए जाने संबंधी शर्तें दी गई हैं । इसमें प्रावधान है कि निधियां हाल ही में समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र और लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर जारी की जा सकती हैं । इससे पहले यह प्रावधान था कि जिला प्राधिकारियों द्वारा पिछले वर्ष से पूर्व वर्ष से संबंधित लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाएं ।


2. जिला प्राधिकारियों को पिछले वर्ष की लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है, इसलिए, पिछले वर्ष से पूर्व वर्ष से संबंधित लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने संबंधी पहले के प्रावधान को फिर चालू करने का निर्णय लिया गया है ।

3. एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 4.3 के उप-पैरा (iii) को निम्नलिखित प्रकार से पढ़ा जा सकता है:

(iii) संबंधित संसद सदस्य के लिए जारी की गई निधियों के संबंध में पिछले वित्तीय वर्ष का उपयोग प्रमाण-पत्र तथा पिछले वर्ष से पूर्व वर्ष से संबंधित लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र जिला प्राधिकारी द्वारा दिशानिर्देशों के क्रमशः अनुबंध (VII एवं X) के फार्मेट में प्रस्तुत किए गए हैं ।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,


(डॉ. साई बाबा)

निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रति:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल सचिव/मुख्य सचिव ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।